भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *88 जिसका उत्तर
मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 (22 माघ, 1946, **(शक))** को दिया जाना है

पोत निर्माण उद्योग हेतु अवसंरचना की स्थिति

***88 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में पोत निर्माण और स्वामित्व की दृष्टि से देश की क्या स्थिति है; और

(ख) पोत परिवहन उद्योग को 'अवसंरचना' का दर्जा देने में सरकार के समक्ष क्या बाधाएं हैं और पोत निर्माण उद्योग को 'अवसंरचना' का दर्जा कब तक प्रदान कर दिया जाएगा?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पोत निर्माण उद्योग हेतु अवसंरचना की स्थिति” के संबंध में श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 11 फरवरी, 2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *88 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित विवरण

(क): मैरीटाइम इंडिया विजन, 2030 में पोत निर्माण में भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करके इसे शीर्ष 10 में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मैरीटाइम अमृत काल विजन, 2047 के अनुसार शीर्ष 5 में स्थान पाने का विजन है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) डाटाबेस के अनुसार, 2014-2023 तक औसत वार्षिक आउटपुट को ध्यान में रखते हुए पोत निर्माण में भारत का स्थान विश्व रैंकिंग में 22वां है।

(ख): भारत सरकार ने 13 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूचना सं. 112 के माध्यम से शिपयार्डों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इसमें "शिपयार्ड" को पोत निर्माण/मरम्मत/भंजन गतिविधियों के निष्पादन के लिए अपेक्षित सुविधाओं वाली एक फ्लोटिंग या भू-आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है। अवसंरचना का दर्जा प्रदान किए जाने से भारतीय शिपयार्ड पूंजी के सस्ते दीर्घकालिक स्रोत का लाभ ले सकेंगे और शिपयार्ड अपनी लागत नुकसान को कम करने में समर्थ होंगे तथा क्षमता विस्तार में निवेश कर सकेंगे जिससे भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बजट घोषणा (2025-26) में निर्दिष्ट आकार से अधिक बड़े आकार के पोतों को अवसंरचना हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल करने के प्रावधान की घोषणा की गई है।

*****